तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	07/2020 ग्रामवासियान / जिला कलक्टर अलवर	
04-03-21	~~पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट आए। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22/03/21 को पेश हो।~~ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
22-03-21	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, अलवर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व (आवं) स्कूल (96)/1668-82 दिनांक 14.03.96 ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ की ख. नं. 1002 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय झालाटाला को खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी। इस आवंटन आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा बहैसियत स्वयं एवम् प्रतिनिधि ग्रामवासियान दिनांक 16.07.2018 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ विलम्ब की माफी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भी प्रस्तुत किया गया है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। बर-वक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस अनुपस्थित रहे। बहस अधिवक्ता अपीलान्टस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो एवम् प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश प्रथमतः ही Null and Void आदेश है जिस पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	

Scanned by CamScanner

अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जाये। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा कथन किया गया कि आवंटन हेतु विद्यालय द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सरपंच इस हेतु सक्षम नहीं है अतः आवंटन निरस्त किया जाये। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(1) RRT 364 प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा कथन किया गया कि भूमि गै. मु. चारागाह है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(1) RRT 765 प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा पूर्व से ही खेल मैदान हेतु भूमि होने, विवादित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने का कथन करते हुए अपीलाधीन आवंटन आदेश अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

अधिवक्ता अपीलान्टस के कथन पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है। प्रार्थीगण/अपीलान्टस का कथन है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19-06-2018 को पटवारी हल्का के पास नकल लेने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाने पर हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अवैध व शून्य आदेश के विरुद्ध अपील करने की कोई मियाद नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.1996 का है। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 19.06.2018 को पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने जाने पर होने का कथन सरसरी एवम् अस्पष्ट है। कौनसे राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली गई, इस सम्बन्ध में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है न ही पटवारी के बारे में कोई विवरण अंकित किया है न ही पटवारी का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः इस कथन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक अपीलाधीन आदेश के अवैध अथवा शून्य होने का प्रश्न है, प्रार्थी/अपीलांट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि चारागाह होने से उसका आवंटन किया जाना अवैधानिक है जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (राजकीय अनधिवासित कृषि भूमियों का शाला, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं आदि जनोपयोगी भवनों एवम् क्रीड़ांगन हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत चारागाह भूमि का आवंटन भी ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञेय है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव के माध्यम से प्रश्नगत भूमि को राजकीय माध्यमिक विद्यालय को खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। विद्यालय द्वारा जिला कलक्टर को विधिवत रूप से भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में प्रश्नगत भूमि के चारागाह भूमि होने के आधार पर ग्राम के पशुओं के हित में आवंटन निरस्त

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर और तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने का अनुतोष चाहा गया है साथ ही प्रश्नगत भूमि पर स्वयं का कब्जा होने का भी कथन किया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर से कई बार अनधिकृत अतिक्रमण हटाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से अपील लेकर नहीं आये हैं बल्कि स्वयं के हितार्थ सार्वजनिक उपयोग हेतु किया गया आवंटन निरस्त करवाना चाहते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश अवैध एवम् शून्य नहीं होकर विधिक आदेश है।

उपयुक्त विवेचन से प्रस्तुत अपील असाधारण देरी से पेश की गई है तथा गुणावगुण के आधार पर भी विधिक बल रहित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है साथ ही अपील मियाद बाहर होने से तथा गुणावगुण पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.1996 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकॉर्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जाये। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

2020/00007

7/2020

सेवामें,

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर राज.

अपील संख्या ---------------------- सन 2018

1– जसराम पुत्र श्री रंगलाल उम्र करीब 53 साल,

2– तेजराम पुत्र श्री रामधन उम्र करीब 38 साल,

3– ओमप्रकाश पुत्र श्री रंगलाल उम्र करीब 32 साल,

4– धनसी पुत्र श्री चन्दर उम्र करीब 60 साल,

5– इन्द्राज पुत्र श्री श्योजी उम्र करीब 42 साल,

6– रामनारायण पुत्र श्री श्योजी उम्र करीब 38 साल,

7– जयदयाल पुत्र श्री श्योजी उम्र करीब 35 साल,

8– सेठराम पुत्र श्री श्योजी उम्र करीब 30 साल जाति मीणा निवासी ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान स्वंय व बहैसियत प्रतिनिधि ग्रामवारियान ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान। --अपीलान्टस

(बनाम)

1– श्रीमान जिला कलैक्टर अलवर राजस्थान,

2– प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान --रेस्पाडेन्ट

राजस्व अपील विरूद्ध निर्णय/आंवटन आदेश क्रमांकराजस्व/आवं/स्कूल/961/668–82दिनांक 14–03–1996 जिला कलक्टर अलवर राजस्थान जिसके द्वारा बेजा विधि विरूद्ध मौके कब्जे व रिकार्ड के खिलाफ रैस्पाडैण्ट के हक में उक्त आवंटन आदेश आराजी खसरा नंबर हाल 1002 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान विद्यालय खेल मैदान हेतु पारित किया गया।–

Scanned by CamScanner